JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, MOULI, PANCHKULA - 134118

TUCK SHOP - 2011-12

एस टी डी एंव कैन्टीन खोलने के लिए शर्तें

- निधारिंत मासिक किराया हर माह की 10 तारीख से पहले या अग्रिम जमा करवाया जा सकता है। छात्र/छात्राओं से सरकारी रेट पर एस टी डी बिल वसूल किया जाएगा।
- बाहर का कोई भी अपरिचित व्यक्ति कैन्टीन पर नहीं बैठेगा और न ही फोन करेगा यह कैंटीन केवल विधालय कर्मचारियों एंव छात्र छात्राओं की सुविधाओं के लिए खोली जाएगी।
- कैन्टीन एस टी डी खोलने एंव बंद करने का समय विधालय तय करेगा।
- यदि कोई छात्र छात्रा या अन्य कर्मचारी उधार करते हैं तो उस भुगतान के लिए निविदाकर्ता स्वंय जिम्मेवार होगा, विधालय की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
- कैन्टिन के बिजली का किराया Meter Reading के अनुसार देय होगा, या हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटिड द्वारा निधारिंत मासिक किराया देय होगा जो निविदादाता को देना होगा।
- कैंटीन टैंडर बिना कोई कारण बताए किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
- लड़के एंव लड़कियों का एस टी डी बूथ पर आने का समय विधालय निर्धारित करेगा ।
- कैन्टीन का किराया शैक्षणिक वर्ष में 10 माह का देय होगा।
- रू 50/- (रू पचास केवल) के सटांप पेपर पर विधालय को एग्रीमेंट देना होगा।
- कैंटीन में रखे गए सामान की सूची तथा उसका रेट सूचनापट पर बाहर लगाना होगा तथा बिना अनुमति के हॉस्टल में कोई सामान नहीं पहुंचाया जाएगा। किसी भी हालत में सामान का रेट MRP से अधिक नहीं होना चाहिए।
- किसी भी विवादास्पद स्थिति में विधालय प्रशासन जरूरत पड़ने पर बिना कोई कारण बताए कैन्टीन खाली करवा सकता है तथा इसके लिए कोई पत्र व्यवहार नहीं होगा।
- छात्र एंव छात्राओं का व्यक्तिगत सामान व उपहार इत्यादि हाउस मास्टर/मिस्ट्रैस के अनुमति के बिना न लाया जाए।
- जब लड़कियां सामान लेने आएं तो आप स्वंय या आपकी जानकार महिला कैन्टीन पर उपस्थित हों तथा लड़कों को उस समय वहां आने की अनुमति नहीं है।
- किसी प्रकार की समस्या हो तो प्राचार्या से सम्पर्क कर सकते हैं।
- कैन्टीन के आस पास की सफाई की जिम्मेवारी निविदाकर्ता की होगी जिसका विशेष ध्यान रखें तथा किसी प्रकार की गंदगी, कूड़ा करकट आस पास न बिखरा हो।
- सामान का रेट बाजार के रेट से सस्ते दामों पर व सामान अच्छा होना चाहिए तथा विधालय की कमेटी द्वारा हर माह सामान एंव रेट का निरिक्षण किया जाएगा। आपको बिल आदि कमेटी को प्रस्तुत करने होंगे।
- कैन्टीन पर बाहर के अपिरिचत व्यक्ति नहीं आने चाहिएं।
- खाने पीने की किसी भी वस्तु से किसी छात्र छात्रा या स्टाफ सदस्य का स्वास्थ्य खराब न हो इसके लिए आपको वही सामान कैंटीन में रखें जो ब्रांडेड हो एंव जिनकी समय सीमा समाप्त न हुई हो।

संतोष शर्मा
प्राचार्या
जवाहर नवोदय विधालय मौली,
पंचकूला।

विधालय द्वारा दी गई उपरोक्त शर्तें मुझे मन्जूर हैं एंव मेरा किराया प्रति माह ____________ होगा।

हस्ताक्षर
निविदादाता

पता:-

फोन नं

गवाह के हस्ताक्षर
एंव पूरा पता व दूरभाष न